(140)

निग0-4235/2018/रीवा/भू-रा0

(264)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

मेवा लाल पिता रामपियारे तेली निवासी रामपुर तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 ....आवेदक

बनाम

1. शासन म0प्र0
2. रामाधार भुजवा पिता गजाधर भुजवा निवासी रामपुर तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 ....अनावेदकगण

अधि0 श्री अशोक तिवारी द्वारा पेश 9.7.18

क्लर्क आफ कोर्ट

निगरानी बिरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंण्डल रामपुर तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 मे तर्मीम सुदा आदेश दिनांक 14.5.2018 के बिरूद्ध अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0के अधीन निगरानी

महोदय

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि , भूमि नम्वर 6/3ख रकवा 0.405 आरे. एवं आराजी नम्वर 6/3ग रकवा 0.202 आरे. मौजा दूबी, प0ह0रामपुर , रा0नि0मं0रामपुर तहसील नईगढ़ी की भूमि आवेदक एवं उसके भाई पदुमनाथ साहू के द्वारा पंजीकृत बिक्रय बिलेख के माध्यम से दिनांक 8.1.2013 को भूमिस्वामी समय लाल काछी एवं मनोज कुमार काछी से क्रय कर काबिज दखील चला आ रहा है तथा पंजीकृत बिक्रय बिलेख के आधार पर आवेदक के नाम नामान्तरण प्रमाणित किया गया और रजिस्ट्री मे उल्लिखित चौहर्दी के अनुसार क्रय दिनांक से ही भूमि पर कब्जा प्रदान करते हुये नक्शा तर्मीम की कार्यवाही की गयी और आवेदक उसी तर्मीम के आधार पर काबिज दखील चला आ रहा है लेकिन राजस्व निरीक्षक के द्वारा जहां भूमि नम्वर 6/4तर्मीम किया गया है उस भू भाग पर 6/3/ख तर्मीम था लेकिन उक्त 6/3ख के स्थान पर 6/4 तर्मीम कर दिया गया है, जवकि बिधि के अनुसार पंजीकृत बिक्रय बिलेख मे उल्लिखित चौहर्दी एवं वास्तविक कब्जे के अनुरुप नक्शा तर्मीम की कार्यवाही की जानी चाहिये लेकिन राजस्व

मेवालाल

(140)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक......निग० 4235/2018/रीवा/भू.रा०......जिला...रीवा...

......मेवालाल तेली......विरूद्ध......शासन, रामबिहार भुजवा......

1	2	3
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री......अशोक तिवारी...... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त रामपुर...तहसील...नईगढ़ी...के प्रकरण क्रमांक......में पारित आदेश दिनांक......14.5.18......के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर......रीवा......के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ......29.03.19...... को कलेक्टर......रीवा......के न्रायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	